GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COOPERATION

RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 18

ANSWERED ON 24.07.2024

Yuva Sahakar Scheme in Himachal Pradesh

18 DR. SIKANDER KUMAR:

Will the Minister of COOPERATION be pleased to state:

- (a) whether National Cooperative Development Corporation (NCDC) is giving opportunities to Indian cooperative entrepreneurs under Yuva Sahakar Scheme for attracting cooperative business ventures in Himachal Pradesh;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) the details of funds sanctioned and disbursed to Himachal Pradesh in the current year;
- (d) the number of beneficiaries who benefitted from this scheme till date; and
- (e) the steps taken by Government for development of cooperatives in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF COOPERATION (SHRI MURLIDHAR MOHOL)

(a) to (e): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT REFEREED TO IN REPLY TO PARTS (A) TO (E) IN RESPECT OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 18 DUE FOR ANSWER ON 24.07.2024 REGARDING YUVA SAHAKAR SCHEME IN HIMACHAL PRADESH ASKED BY DR. SIKANDER KUMAR

- (a) & (b): Yes, "Yuva Sahakar Cooperative Enterprise Support and Innovation Scheme" is being implemented by National Cooperative Development Corporation (NCDC) across the country including the state of Himachal Pradesh, with the aim to encourage newly formed cooperative societies with new and/or innovative ideas. The scheme encourages young entrepreneur Cooperative Societies which are in operation for a minimum of 3 months. The loan provided under the scheme is a long term loan (up to 5 years) and as an incentive, NCDC provides 2% interest subvention on its applicable rate of interest on term loan for the project activities. Further, the loan component under the scheme can also be dovetailed with subsidy, as applicable and available from other Government of India schemes.
- (c): NCDC funding is project based. Till date, no proposal has been received from any cooperative in Himachal Pradesh under Yuva Sahakar Scheme.
- (d): As on 30/06/2024, NCDC has sanctioned financial assistance of Rs.4,556.55 lakh to cooperatives across the country, under Yuva Sahakar scheme, with more than 14,000 beneficiary members and released assistance of Rs.248.35 lakh.
- (e): Ministry of Cooperation with active participation of various States/ UTs has taken various initiatives to revitalize and strengthen the cooperative sector across the country, the details of which are enclosed at *Annexure*.

Brief of 54 initiatives taken by Ministry of Cooperation

Ministry of Cooperation, since its inception on 6th July, 2021, has undertaken several initiatives to realize the vision of "Sahakar-se-Samriddhi" and to strengthen & deepen the cooperative movement from Primary to Apex level Cooperatives in the country. List of initiatives taken and progress made so far are as follows:

A. Making Primary Cooperatives economically vibrant and transparent

- 1. Model Bye-Laws for PACS making them multipurpose, multidimensional and transparent entities: Government, in consultation with all the stakeholders, including States/ UTs, National Level Federations, State Cooperative Banks (StCBs), District Central Cooperative Banks (DCCBs), etc., has prepared and circulated Model Byelaws for PACS to all the States/ UTs, which enable PACS to undertake more than 25 business activities, improve governance, transparency and accountability in their operations. Provisions have also been made to make the membership of PACS more inclusive and broad-based, giving adequate representation to women and Scheduled Castes/Schedules Tribes. So far, 32 States/ UTs have adopted Model Byelaws or their existing byelaws are in line with Model Byelaws.
- 2. Strengthening of PACS through Computerization: In order to strengthen PACS, project for Computerization of functional PACS with a total financial outlay of ₹2,516 Crore has been approved by the Government of India, which entails bringing all functional PACS in the Country onto a common ERP based national software, linking them with NABARD through StCBs and DCCBs. A total of 67,009 PACS from 30 States/ UTs have been sanctioned under the project. The hardware has been procured by 28 States/UTs. Total 25,674 PACS have been onboarded on ERP Software and 15,207 PACS have gone live.
- **3.** Establishing New Multipurpose PACS/ Dairy/ Fishery Cooperatives in uncovered Panchayats: The plan for establishing new multipurpose PACS or primary dairy/ fisheries cooperatives covering all the Panchayats/ villages in the next five years, with support of NABARD, NDDB, NFDB, NCDC and other National level Federations has been approved by the Government. As per National Cooperative Database, a total of 6,844 new PACS, Dairy and Fishery cooperative societies have been registered across States/ UTs.
- 4. World's Largest Decentralized Grain Storage Plan in Cooperative sector: Government has approved a plan to create warehouses, custom hiring centers, primary processing units and other agri infrastructure for grain storage at PACS level, through convergence of various GOI schemes, including AIF, AMI, SMAM, PMFME, etc. This will reduce wastage of food grains and transportation costs, enable farmers to realize better prices for their produce and meet various agricultural needs at the PACS level itself. Under the Pilot Project, godowns have been constructed in 11 PACS of 11 States and the Pilot is now being extended to 500 additional PACS.
- 5. PACS as Common Service Centers (CSCs) for better access to e-services: An MoU has been signed between Ministry of Cooperation, MeitY, NABARD and CSC e-Governance Services India Limited for providing more than 300 e-services such as banking, insurance, Aadhar enrolment/updation, health services, PAN card and IRCTC/

- Bus/ Air ticket, etc. through PACS. So far, 37,169 PACS have started providing CSC services to rural citizens which will also result in increase in income of these PACS.
- 6. Formation of new Farmer Producer Organizations (FPOs) by PACS: Government has allowed 1,100 additional FPOs to be formed by PACS with the support of NCDC, in those blocks where FPOs have not yet been formed or the blocks are not covered by any other implementing agency. Apart from this, 992 FPOs have been formed in the cooperative sector by NCDC. This will be helpful in providing farmers with necessary market linkages and get fair and remunerative prices for their produce.
- **7. PACS given priority for Retail Petrol/ Diesel outlets**: Government has allowed PACS to be included in the Combined Category 2 (CC2) for allotment of retail petrol/ diesel outlets. As per information received from Oil Marketing Companies (OMCs), more than 270 PACS from 25 States/UTs have applied online for retail petrol/ diesel outlets.
- 8. PACS given permission to convert bulk consumer petrol pumps into retail outlets: Based on the discussions with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, guidelines have been issued to convert the existing bulk consumer licensee PACS into retail outlets for increasing the profit of PACS and generate employment opportunities in rural areas. 109 PACS from 4 States having wholesale consumer pumps have given consent for conversion into Retail Outlets, out of which 43 PACS have received Letter of Intent (LOI) from the OMCs.
- **9. PACS eligible for LPG Distributorship for diversifying its activities**: Government has now allowed PACS to apply for LPG Distributorships. This will give PACS an option to increase their economic activities and create new employment opportunities in rural areas. From four States/ Union Territories, a total of 31 PACS have submitted online applications.
- 10. PACS as PM Bharatiya Jan Aushadhi Kendra for improving access to generic medicines at rural level: Government is promoting PACS to operate Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras which will provide additional income source to them and ease the access to generic medicines for rural citizens. So far, 4,341 PACS/ cooperative societies have applied online for PM Bhartiya Janaushadhi Kendras, out of which 2,594 PACS have been given initial approval by PMBI and 674 have received drug licences from State Drug Controllers which are ready to function as PM Bhartiya Jan Aushadhi Kendras
- **11. PACS as Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendras (PMKSK):** Government is promoting PACS to operate PMKSK for ensuring easy accessibility of fertilizer & related services to farmers in the country. As per the information shared by States/ UTs, 38,141 PACS are functioning as PMKSK.
- **12. Convergence of PM-KUSUM at PACS level**: Farmers associated with PACS can adopt solar agricultural water pumps and install photovoltaic modules in their farms.

- **13. PACS to carry out O&M of rural piped water supply schemes (PWS)**: In order to utilize the deep reach of PACS in rural areas, on the initiative of the Ministry of Cooperation, Ministry of Jal Shakti has made PACS as eligible agencies to carry out the Operations & Maintenance (O&M) of PWS in rural areas. As per information received from States/ UTs, 1,833 PACS have been identified/ selected by 16 States/ UTs to provide O&M services at Panchayat/ Village level.
- **14. Micro-ATMs to Bank Mitra Cooperative Societies for providing doorstep financial services**: Dairy and Fisheries cooperative societies can be made Bank Mitras of DCCBs and StCBs. To ensure their ease of doing business, transparency and financial inclusion, Micro-ATMs are also being given to these Bank Mitra Co-operative Societies with support from NABARD to provide 'Door-step Financial Services'. As a pilot project, about 2,700 Micro-ATMs have been distributed to Bank Mitra cooperative societies in Panchmahal and Banaskantha Districts of Gujarat. This initiative is now being implemented in all the Districts of the State of Gujarat.
- **15. Rupay Kisan Credit Card to Members of Milk Cooperatives**: In order to expand the reach of DCCBs/ StCBs and to provide necessary liquidity to the members of Dairy Cooperative societies, Rupay Kisan Credit Cards (KCCs) are being distributed to the members of cooperatives for providing credit at comparatively lower interest rates and to enable them to carry out other financial transactions. So far, 48,000 Rupay KCC have been distributed in Panchmahal and Banaskantha Districts of Gujarat. This initiative is now being implemented in all the Districts of the State of Gujarat.
- **16. Formation of Fish Farmer Producer Organization (FFPO)**: In order to provide market linkage and processing facilities to fishermen, NCDC has registered 69 FFPOs in the initial phase. In addition, Department of Fisheries, Government of India has allocated the work of converting 1000 existing fisheries cooperative societies into FFPOs to NCDC, with an approved outlay of Rs. 225.50 crore.

B. Strengthening the Urban and Rural Cooperative Banks

- **17.** UCBs have been allowed to open new branches to expand their business: UCBs can now open new branches up to 10% (maximum 5 branches) of the existing number of branches in the previous financial year without prior approval of RBI.
- **18.** UCBs have been allowed by RBI to offer doorstep services to their customers: Door step banking facility can now be provided by UCBs. Account holders of these banks can now avail various banking facilities at home such as cash withdrawal, cash deposit, KYC, demand draft and life certificate for pensioners, etc.
- 19. Cooperative banks have been allowed to make one-time settlement of outstanding loans, like Commercial Banks: Co-operative banks, through board-approved policies, can now provide the process for settlement with borrowers, along with technical write-off.

- **20.** Time limit increased to achieve Priority Sector Lending (PSL) targets given to UCBs: RBI has extended the timeline for UCBs to achieve Priority Sector Lending (PSL) targets by two years i.e., up to March 31, 2026.
- **21.** A Nodal Officer designated in RBI for regular interaction with UCBs: In order to meet the long pending demand of the cooperative sector for closer coordination and focused interaction, RBI has notified a nodal officer.
- 22. Individual housing loan limit more than doubled by RBI for Rural and Urban Cooperative Banks:
 - a. Housing loan limit of Urban Cooperative Banks has now been doubled from Rs. 30 lakhs to Rs. 60 lakhs.
 - b. Housing loan limit of Rural Cooperative Banks has been increased to two and a half times to Rs. 75 lakhs.
- 23. Rural Cooperative Banks will now be able to lend to commercial real estate/ residential housing sector, thereby diversifying their business: This will not only help Rural Cooperative Banks to diversify their business, but will benefit Housing cooperative societies also.
- **24. License fee reduced for Cooperative Banks**: License fee for onboarding Cooperative Banks to 'Aadhaar Enabled Payment System' (AePS) has been reduced by linking it to the number of transactions. Cooperative financial institutions will also be able to get the facility free of cost for the first three months of the pre-production phase. With this, farmers will now be able to get the facility of banking at their home with through biometrics.
- 25. Non-scheduled UCBs, StCBs and DCCBs notified as Member Lending Institutions (MLIs) in CGTMSE Scheme to increase the share of cooperatives in lending: Cooperative banks will now be able to take advantage of risk coverage up to 85 percent on the loans given. Also, cooperative sector enterprises will also be able to get collateral free loans from cooperative banks now.
- **26. Notification of Scheduling norms for including Urban Cooperative Banks:** UCBs that meet the 'Financially Sound and Well Managed' (FSWM) criteria and have maintained the minimum deposits required for classification as Tier 3 for the last two years are now eligible to be included in Schedule II of the Reserve Bank of India Act, 1934 and get 'Scheduled' status.
- **27. Monetary ceiling doubled by RBI for Gold Loan:** RBI has doubled monetary ceiling from Rs. 2 lakhs to Rs.4 lakh, for those UCBs that meet the PSL targets.
- **28.** Umbrella Organization for Urban Cooperative Banks: RBI has accorded approval to the National Federation of Urban Co-operative Banks and Credit Societies Ltd. (NAFCUB) for the formation of an Umbrella Organization (UO) for the UCB sector, which will provide necessary IT infrastructure and operational support to around 1,500 UCBs.

C. Relief to Cooperative Societies in the Income Tax Act

- 29. Surcharge reduced from 12 % to 7% for co-operative societies having income between Rs. 1 to 10 Cr.: This will reduce the burden of Income Tax on Cooperative Societies and more capital will be available with them to work for the benefit of their members.
- **30. MAT reduced for cooperatives from 18.5% to 15%:** With this provision, now there is parity between Cooperative Societies and Companies in this regard.
- **31.** Relief in cash transactions under section 269ST of the Income Tax Act: In order to remove difficulties in cash transactions by cooperatives under Section 269ST of IT Act, Government has issued a clarification that cash transaction of less than Rs. 2 lakhs done by a cooperative society with its distributor in a day will be considered separately, and will not be charged with income tax penalty.
- **32.** Tax cut for new manufacturing Cooperative societies: Government has decided that a flat lower tax rate of 15% will be charged, compared to an earlier rate of up to 30% plus surcharge, for new cooperatives commencing manufacturing activities by March 31, 2024. This will encourage the formation of new cooperative societies in the manufacturing sector.
- **33.** Increase in limit of Cash Deposits and Cash Loans by PACS and PCARDBs: Government has enhanced the limit for Cash Deposits and Cash Loans by PACS and Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs) from Rs. 20,000 to Rs. 2 lakh per member. This provision will facilitate their activities, increase their business and benefit members of their societies.
- **34.** Increase in the limit of Tax Deducted at Source (TDS) in Cash Withdrawal: Government has increased the cash withdrawal limit of cooperative societies without deduction of tax at source from Rs.1 crore to Rs.3 crore per year. This provision will save Tax Deducted at Source (TDS) for cooperative societies, which will enhance their liquidity.

D. Revival of Cooperative Sugar Mills

- **35. Relief from Income Tax to Sugar Cooperative Mills**: Government has issued a clarification that cooperative sugar mills would not be subjected to additional income tax for paying higher sugarcane prices to farmers up to Fair and Remunerative or State Advised Price, from April, 2016 onwards.
- **36.** Resolution of decades old pending issues related to Income Tax of Sugar Cooperative Mills: Government has made a provision in its Union Budget 2023-24, wherein Sugar cooperatives have been allowed to claim as expenditure their payments to sugarcane farmers for the period prior to assessment year 2016–17, giving them a relief of more than Rs.10,000 crore.
- 37. Rs. 10,000 crore loan schemes launched for strengthening of Sugar Cooperative Mills: Government has launched a scheme through NCDC for setting up ethanol plants or

cogeneration plants or for working capital or for all three purposes. Loan amount of Rs. 5746.76 cr. has been sanctioned by NCDC to 36 Cooperative Sugar Mills so far.

- **38. Preference to Cooperative Sugar Mills in purchase of ethanol**: Cooperative Sugar Mills have now been put at par with private companies for ethanol procurement by Government of India under the Ethanol Blending Programme (EBP).
- **39. Reduction in GST on molasses from 28% to 5%:** Government has decided to reduce the GST on molasses from 28% to 5% which will enable cooperative sugar mills to earn more profits for their members by selling molasses to distilleries with higher margins.

E. Three new National Level Multi-State Societies

- **40.** New National Multi-State Cooperative Seed Society for certified seeds: Government has established a new apex multi-state cooperative seed society under the MSCS Act, 2002, namely Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited (BBSSL) as an umbrella organization for quality seed cultivation, production and distribution under a single brand. BBSSL so far has planted breeder seeds of Wheat, Mustard, and Pulses (Gram, Pea) on 366 Hectare land during Rabi season. Similarly, during Kharif season breeder seeds of Peddy, Moong, Soyabean, Groundnut, Jowar and Guar have been planted on 148.26 Hectare land. As on date 11714 PACS/ Cooperative Societies have become member of BBSSL.
- **41.** New National Multi-State Cooperative Organic Society for organic farming: Government has established a new apex multi-state cooperative organic society under the MSCS Act, 2002, namely National Cooperative Organics Limited (NCOL) as an umbrella organization to produce, distribute and market certified and authentic organic products. As on date 3,775 PACS/ cooperative societies have become member of NCOL. So far, 12 organic products have been launched by NCOL under "Bharat Organics" brand.
- 42. New National Multi-State Cooperative Export Society for promoting exports: Government has established a new apex multi-state cooperative export society under the MSCS Act, 2002, namely National Cooperative Export Limited (NCEL) as an umbrella organization to give thrust to exports from cooperative sector. As on date, about 7700 PACS/ cooperative societies have become member of NCEL. A total of 8,15,007 metric tonnes of commodities have been exported by NCEL. Out of which 8,01,790 metric tonnes of rice, 7,685 metric tonnes of onions, 4507 metric tonnes of sugar, 1025 metric tonnes of wheat have been exported.

F. Capacity Building in Cooperatives

43. Promotion of training and awareness through National Council for Cooperative Training (NCCT): By increasing its reach, NCCT has conducted 3,619 training programs and provided training to 2,21,478 participants in FY 2023-24. From April to June 2024, NCCT has conducted 494 programmes against the quarterly target of 435 programmes and trained 19,591 participants against the target of 10875 participants.

44. Establishment of the Cooperative University :Cabinet Note has been prepared by Ministry of Cooperation for setting up of a National Cooperative University for Cooperative education, training, consultancy, research and development and a sustainable and quality supply of trained manpower.

G. Use of Information Technology for 'Ease of Doing Business'

- **45. Computerization of the Central Registrar's Office**: Central Registrar's office has been computerized to create a digital ecosystem for Multi-State Cooperative Societies, which will assist in processing applications and service requests in a time bound manner.
- **46. Scheme for computerization of office of RCSs in States and Union Territories**: To increase 'Ease of doing businesses for Cooperative Societies and create a digital ecosystem for transparent paperless regulation in all the States/ Union Territories, a Centrally Sponsored Project for computerization of RCS Offices has been approved by the Government. Grants will be provided for purchase of hardware, development of software, etc. to the States/ UTs.
- 47. Computerization of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs): To strengthen the long-term cooperative credit structure, the project of computerization of 1,851 units of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs) spread across 13 States/ Union Territories has been approved by the Government. NABARD is the implementing agency for the project and will develop a national level software for ARDBs. Hardware, support for digitization of legacy data, training to the employees, etc. will be provided under the project. So far, proposals from 10 States/UTs have been received and sanctioned. Further, GOI share amounting to Rs 4.26 crore was released to 8 States/UTs in FY 2023-24 and FY 2024-25 for procurement of hardware, digitization and setting up of support system.

H. Other Initiatives

- **48.** New National Cooperative Database for authentic and updated data repository: A database of cooperatives in the country has been prepared with the support of State Governments to facilitate stakeholders in policy making and implementation of programmes/ schemes related to cooperatives across the country. So far, data of around 8.09 lakh cooperatives has been captured in the database.
- **49. Formulation of New National Cooperative Policy**: A National level committee comprising 49 experts and stakeholders drawn from all over the Country has been constituted to formulate the New National Cooperative Policy for enabling a vibrant ecosystem to realize the vision of 'Sahakar-se-Samriddhi'.
- **50. Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023**: Amendment has been brought in the MSCS Act, 2002 to strengthen governance, enhance transparency, increase accountability, reform electoral process and incorporate provisions of 97th Constitutional Amendment in the Multi State Cooperative Societies.
- **51. Inclusion of Cooperatives as 'buyers' on GeM portal**: Government has permitted cooperatives to register as 'buyer' on GeM, enabling them to procure goods and services from over 67 lakh vendors to facilitate economical purchases and greater transparency. So far, 559 cooperative societies have been onboarded on GeM as buyers.

- 52. Expansion of National Cooperative Development Corporation (NCDC) to increase its range and depth: NCDC has launched new schemes in various sectors such as 'Swayamshakti Sahkar' for SHGs; 'Deerghavadhi Krishak Sahkar' for long term agricultural credit and 'Dairy Sahkar' for dairy. Total financial assistance of Rs. 60,618.47 Crores has been disbursed by NCDC in FY 2023-24. NCDC has disbursed Rs.19,287.17 crore so far in the financial year 2024-25. Government of India has permitted NCDC to issue bonds worth ₹2000 crore with government guarantee, subject to the adherence of specified terms and conditions. Further, NCDC is setting up sub-offices in 6 North Eastern States Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland and Tripura with the objective of taking various national schemes to the cooperative societies at their doorstep.
- 53. Financial assistance by NCDC for Deep Sea Trawlers: NCDC is providing financial assistance for projects related to deep sea trawlers in coordination with the Department of Fisheries, Government of India. Various financial assistances have been sanctioned by NCDC such as; Rs. 11.55 crores for purchase of 14 deep sea trawlers in Maharashtra at a block cost of Rs 20.30 crores, Rs 37.39 crores to Rajmata Vikas Macchimar Sahakari Sanstha Limited, Mumbai for setting up a seafood processing unit at a Block Cost of Rs.46.74 crores, Rs. 32.69 crores for Integrated Fisheries Development Project (IFDP) of Government of Kerala and NCDC has sanctioned the proposal of Shri Mahavir Macchimar Sahakari Mandali Limited, Gujarat for purchasing 30 deep sea trawlers with a block cost of Rs.36.00 crores.
- **54. Refund to Investors of Sahara Group of Societies**: A portal has been launched for making payments to the genuine depositors of the cooperative societies of Sahara Group in a transparent manner. Disbursements have already started after proper identification and submission of proof of their deposits and claims.

भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 18

बुधवार, २४ जुलाई, २०२४ ((श्रावण २, १९४६, (शक)) को उत्तरार्थ

हिमाचल प्रदेश में युवा सहकार योजना

18. डॉ. सिकंदर कुमारः

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) हिमाचल प्रदेश में सहकारी व्यवसायिक उद्यमों को आकर्षित करने के लिए युवा सहकार योजना के अंतर्गत भारतीय सहकारी उद्यमियों को अवसर प्रदान कर रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) चालू वर्ष के दौरान में हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) आज की तिथि तक, इस योजना से कितने लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है; और
- (ङ) सरकार ने देश में सहकारी सिमतियों के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित विवरण, जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

- (क) एवं (ख): जी हां, "युवा सहकार सहकारी उद्यम समर्थन और नवाचार योजना" को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नए और/या अभिनव विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह योजना युवा उद्यमी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करती है, जो कम से कम 3 महीने से कार्य कर रहे हैं। योजना के तहत प्रदत्त ऋण एक दीर्घकालिक ऋण (5 वर्ष तक) है और प्रोत्साहन के रूप में, एनसीडीसी परियोजना कार्यकलापों के लिए सावधि ऋण पर अपनी लागू ब्याज दर पर 2% ब्याज अनुदान प्रदान करता है। इसके अलावा, योजना के तहत ऋण घटक को भारत सरकार की अन्य योजनाओं में लागू और उपलब्ध सब्सिडी के साथ भी सामंजित किया जा सकता है।
- (ग): एनसीडीसी वित्तपोषण परियोजना आधारित है। आज तक, युवा सहकार योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में किसी भी सहकारी समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
- (घ): दिनांक 30/06/2024 तक, एनसीडीसी ने युवा सहकार योजना के तहत देश भर में सहकारी सिमितियों को 4,556.55 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इस योजना के अंतर्गत 14,000 से अधिक लाभार्थी सदस्य हैं तथा 248.35 लाख रुपये की सहाय ता जारी की गई है।
- (ड़): सहकारिता मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश भर में सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनका विवरण अनुबंध पर संलग्न है।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई 54 पहलें

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से, देश में "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने और प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों में सहकारी आंदोलन को सशक्त और मजबूत करने के लिए अनेक पहलें की हैं। इन पहलों की सूची और इनकी अब तक हुई प्रगति निम्नानुसार है:

क. प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

- 1. पैक्स हेतु आदर्श (मॉडल) उपनियम जो उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा पारदर्शी संस्थाएं बनाते हैं: सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया है, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने तथा अपने प्रचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हेतु सक्षम बनाते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के भी उपबंध किए गए हैं। अब तक 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आदर्श उपविधियां अपनायी गई हैं या उनकी मौजूदा उपविधियां आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं।
- 2. कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण: पैक्स को सुदृढ़ करने हेतु 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शामिल है । इस परियोजना के अधीन 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 67,009 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं । 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद कर ली गई है । कुल 25,674 पैक्स को ERP पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है और 15,207 पैक्स लाइव हो गए हैं ।
- 3. अनाच्छादित पंचायतों में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी सिमितियों की स्थापना: सरकार द्वारा नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीडीसी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संघों के सहयोग से आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करने के लिए नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी सिमितियां स्थापित करने की योजना को अनुमोदित किया गया है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 6,844 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी सिमितियों का पंजीकरण किया गया है ।
- 4. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना: सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपिमशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि विभिन्न योजनाओं के

अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदमों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु एक परियोजना को अनुमोदन दिया है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आयेगी, किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी। पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण किया गया है और अब इस पायलट परियोजना को 500 अतिरिक्त पैक्स में विस्तारित किया जा रहा है।

- 5. ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स: पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/ बस/हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है । अब तक 37,169 पैक्स ने ग्रामीण जनता को CSC सेवाएं प्रदान करना आरंभ कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप इन पैक्स की आय में वृद्धि भी होगी।
- 6. पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना: सरकार ने ऐसे ब्लॉक में जहां अब तक किसान उत्पादक संगठन स्थापित नहीं हुई है या ऐसे ब्लॉक जहां कोई कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहयोग से पैक्स को 1,100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने की अनुमित दी है । इसके अतिरिक्त, सहकारिता के क्षेत्र में एनसीडीसी द्वारा 992 किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए गए हैं । इससे किसानों को आवश्यक बाजार लिंकेज उपलब्ध कराने और उन्हें अपनी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।
- 7. खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए पैक्स को प्राथमिकता: सरकार ने पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आवंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC-2) में शामिल करने की अनुमित प्रदान कर दी है। तेल विपणन कंपिनयों (OMCs) द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 270 से भी अधिक पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवंदन किया है।
- 8. पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने हेतु अनुमित: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के आधार पर मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस प्राप्त पैक्स को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं जिससे पैक्स के लाभ में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे। 4 राज्यों के थोक उपभोक्ता पंप वाले 109 पैक्स ने खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने की सहमित दे दी है जिसमें से 43 पैक्स को इस संबंध में तेल विपणन कंपनियों (OMCs) से आशय पत्र (LOI) प्राप्त हो गया है।

- 9. पैक्स द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप की पात्रता:_सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप हेतु आवेदन करने की अनुमित प्रदान कर दी है। इससे पैक्स को अपनी आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ाने का एक विकल्प प्राप्त होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे। चार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कुल 31 पैक्स ने ऑनलाइन आवेदन दिए हैं।
- 10. ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक औषधियों तक सुगम पहुंच हेतु जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स: सरकार द्वारा पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) चलाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे और ग्रामीण जनता को जेनेरिक औषधियों तक सुगम पहुँच सुनिश्चित होगी । अब तक 4,341 पैक्स/सहकारी सिमितियों ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है जिसमें से 2,594 पैक्स को PMBI द्वारा आरंभिक अनुमोदन दिया जा चुका है और 674 पैक्स को राज्य ड्रग नियंत्रकों से ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो गए हैं जो औषधि केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।
- 11.प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में पैक्स: सरकार द्वारा देश में किसानों को उर्वरक और अन्य संबंधित सेवाएं आसानी से प्रदान करने के लिए पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के प्रचालन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार 38,141 पैक्स, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में कार्य कर रहे हैं ।
- 12. पैक्स के स्तर पर PM-KUSUM का अभिसरण: पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल करा सकते हैं।
- 13. पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजनाओं का प्रचालन और रखरखाव (O&M) कार्यः ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहल पर जलशक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) कार्य के लिए पैक्स को पात्र एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 16 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पंचायत/गांव के स्तर पर प्रचालन व रख-रखाव (O&M) सेवाएं प्रदान करने हेतु 1,833 पैक्स की पहचान की गई है/चयन किया गया है।
- 14.डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम: डेयरी और मास्यिकी सहकारी समितियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के बैंक मित्र बनाए जा सकते हैं। सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं" प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम दिए जा रहे हैं। पायलट परियोजना के रूप में गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिले के बैंक मित्र

- सहकारी सिमतियों को लगभग 2,700 माइक्रो एटीम वितरित किए गए हैं । इस पहल को अब गुजरात राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।
- 15. दुग्ध सहकारी सिमितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) की पहुंच के विस्तारण तथा डेयरी सहकारी सिमितियों के सदस्यों को आवश्यक तरलता प्रदान करने और तुलनात्मक रूप से निम्नतर ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने तथा अन्य वित्तीय लेनदेनों में सक्षम करने हेतु सहकारी सिमितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) का वितरण किया जा रहा है । गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में अब तक 48,000 रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (Rupay KCCs) वितरित किए गए हैं । इस पहल को अब गुजरात के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।
- 16.मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPO) की स्थापना: मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु एनसीडीसी ने प्रारंभिक चरण में 69 FFPOs का पंजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को FFPOs में रूपांतरित करने का कार्य सौंपा है।

ख. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों का सशक्तिकरण

- 17.शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को व्यापार विस्तारण हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमित: शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अब आरबीआई की पूर्वानुमित के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5) तक नई शाखाएँ खोल सकेंगे।
- 18.भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमित: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। इन बैंकों के खाताधारक अब अपने घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- 19.सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमित: सहकारी बैंक अब बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के निपटान की कार्रवाई भी कर सकेंगे।
- 20.शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को प्राथमिक क्षेत्र उधार (PSL) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु दी गई समय-सीमा में वृद्धिः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को PSL लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दी गई समय-सीमा को दो वर्षों के लिए, अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
- 21.शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित: सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद हेतु काफी समय से

लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया है।

22.भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवासन ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक की गई:

- शहरी सहकारी बैंकों के आवासन ऋण की सीमा को अब 30 लाख रुपये से दोगुना कर
 60 लाख रुपये कर दिया गया है।
- ii. ग्रामीण सहकारी बैंकों के आवासन ऋण सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है ।
- 23.ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवासन क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी: इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि आवासन सहकारी समितियां भी लाभान्वित होंगी।
- 24. सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया: सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) में ऑनबोर्ड करने के लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से लिंक करके घटा दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थानों को भी उत्पादन-पूर्व चरण में यह सुविधा पहले तीन महीनों में निःशुल्क प्राप्त होगी। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक्स द्वारा घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।
- 25.ऋण वितरण में सहकारी सिमितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (UCBs), राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को CGTMSE योजना में सदस्य ऋण संस्थान (MLI) के रूप में अधिसूचित किया गया: सहकारी बैंक अब दिए जाने वाले ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल-मुक्त ऋण मिल सकेगा।
- 26.शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना: शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय सुदृढ़ और सुप्रबंधित' (FSWM) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बरकरार रखे हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची ॥ में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
- 27.स्वर्ण ऋण हेतु RBI द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PSL लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।
- 28.शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (UO) की स्थापना हेतु नैशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-

ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB) को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रचालन सहायता प्राप्त हो सकेगी।

(ग) सहकारी समितियों को आयकर अधिनियम में राहत

- 29. 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी सिमतियों के आयकर पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है: इससे सहकारी सिमतियों पर आयकर का भार कम होगा और उनके पास अपने सदस्यों के हित के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगा
- 30.सहकारी सिमितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया: इस उपबंध से अब सहकारी सिमितियों और कंपनियों के बीच इस संबंध में समरूपता हो गई है।
- 31. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के अधीन सहकारी समितियों के लिए नकद लेनदेन में राहत: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अधीन सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में होने वाली किठनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ किसी एक दिन में किए गए 2 लाख रुपए से कम के नकद लेनदेन को पृथक माना जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
- 32.नई विनिर्माण सहकारी सिमितियों के लिए कर में कटौती: सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण कार्य शुरू करने वाली नई सहकारी सिमितियों से अधिभार के साथ 30% तक के पूर्व दर की तुलना में 15% का सपाट निम्न कर-दर लगाया जाएगा। इससे विनिर्माण के क्षेत्र में नई सहकारी सिमितियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।
- 33.प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) की नकद जमाराशि और नकद ऋण की सीमा में वृद्धिः सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDB) द्वारा नकद जमा और नकद ऋणों की सीमा को प्रति सदस्य 20,000 रुपए से बढ़ा कर 2,00,000 रुपए कर दी गई है । इस उपबंध से उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाएगा और उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा इन समितियों के सदस्य लाभान्वित होंगे।
- 34.सहकारी सिमितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बिना नकद निकासी की सीमा में वृद्धिः सरकार ने सहकारी सिमितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती किए बिना नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। इस प्रावधान से सहकारी सिमितियों को स्रोत पर कर कटौती में राहत प्राप्त होगी जिससे उनकी चल निधि में वृद्धि होगी।

घ. सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

- **35.सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**: सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि सहकारी चीनी मिलों को अप्रैल, 2016 से गन्ना किसानों को गन्ने के उच्च्तर मूल्य का भुगतान करने पर उचित एवं लाभकारी मूल्य या राज्य सलाह मूल्य तक कोई अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ेगा।
- 36.सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित समस्याओं का समाधान: सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया है कि सहकारी चीनी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमित होगी जिससे उन्हें 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राहत मिलेगी।
- **37.सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण हेतु 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना का शुभारंभ:** सरकार ने NCDC के माध्यम से एथनॉल संयंत्र या कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या फिर तीनों के लिए एक योजना आरंभ की है। NCDC द्वारा अब तक 36 सहकारी चीनी मिलों को 5746.76 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की गई।
- **38.एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता:** भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के अधीन एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप रखा गया है।
- **39.मोलासस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया:** सरकार ने मोलासस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है जिससे सहकारी चीनी मिलें डिस्टिलरियों को उच्चतर दरों पर मोलासस की बिक्री करके अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे।

(ङ) <u>राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई बहुराज्य सहकारी समितियां</u>

40. प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी समिति: सरकार ने एकल ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए अंब्रेला संगठन के रूप में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) ने रबी मौसम में अब तक 366 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं, सरसों और दलहन (चना, मटर) के ब्रीडर बीजों का रोपण किया है। इसी प्रकार खरीफ मौसम के दौरान 148.26 हेक्टेयर भूमि में धान, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार और ग्वार के ब्रीडर बीजों का रोपण किया है। अब तक 11,714 पैक्स/सहकारी सिमितियां भारतीय बीज सहकारी सिमिति लिमिटेड (BBSSL) की सदस्य बन गई हैं।

- 41. जैविक कृषि के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य ऑगैंनिक सहकारी समिति: सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक अंब्रेला संगठन के रूप में प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी समिति राष्ट्रीय सहकारी ऑगैंनिक्स समिति (NCOL) की स्थापना की है । अब तक 3,775 पैक्स/सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी ऑगैंनिक्स लिमिटेड (NCOL) की सदस्य बन गई हैं । राष्ट्रीय सहकारी ऑगैंनिक्स लिमिटेड (NCOL) द्वारा "भारत ऑगैंनिक्स" ब्रांड के तहत अब तक 12 जैविक उत्पाद लॉन्च किए जा चुके हैं ।
- 42.निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समितिः सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनयम, 2002 के अधीन सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंब्रेला एजेंसी के रूप में एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य राष्ट्रीय सहकारी सिमिति की स्थापना की है जिसे राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) का नाम दिया गया है । अब तक लगभग 7,700 पैक्स/सहकारी सिमितियां राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के सदस्य बन चुके हैं । NCEL द्वारा कुल 8,15,007 मेट्रिक टन की सामग्री का निर्यात किया गया है । इसमें 8,01,790 मेट्रिक टन चावल; 7,685 मेट्रिक टन प्याज; 4,507 मेट्रिक टन चीनी; 1,025 मेट्रिक टन गेहूं का निर्यात शामिल है ।

च. सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण

- 43.राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरुकता निर्माण को प्रोत्साहन: अपनी पहुंच को विस्तारित करते हुए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2,21,478 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए 3,619 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया। एनसीसीटी ने अप्रैल से जून, 2024 के दौरान 453 कार्यक्रमों के तिमाही लक्ष्य की तुलना में 494 कार्यक्रमों का संचालन किया है और 10,875 प्रतिभागियों के लक्ष्य की तुलना में 19,591 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।
- **44.सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना:** सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षित श्रमबल की संवहनीय और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंत्रिमंडलीय नोट तैयार किया गया है।

छ. 'सुगम व्यवसाय' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

- **45.केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण**: बहुराज्य सहकारी सिमतियों के लिए डिजिटल परितंत्र सृजित करने हेतु केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है जिससे समयबद्ध तरीके से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में मदद मिलेगी।
- 46.राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी सिमतियों के पंजीयक कार्यलयों के कंप्यूटरीकरण की योजना: सहकारी सिमतियों के लिए 'सुगम व्यवसाय' में वृद्धि तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पारदर्शी कागज-रहित विनियमन हेतु एक डिजिटल परितंत्र के सृजन

- के लिए सहकारी सिमतियों के पंजीयक कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास, इत्यादि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- 47.कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण: दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है । नाबार्ड इस परियोजना का कार्यान्वयन एजेंसी है जो कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के लिए राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर का विकास करेगा । इस परियोजना के अधीन हार्डवेयर, लीगेसी डेटा के डिजिटलीकरण, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, इत्यादि हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा । अब तक 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इसके अलावा हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 4.26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ।

ज) अन्य पहलें

- 48.प्रामाणिक और अद्यतित डेटा संग्रहण हेतु नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है जो देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों के लिए सहायक होगा । इस डेटाबेस में अब तक लगभग 8.09 लाख सहकारी समितियों के डेटा संग्रहित किए गए हैं।
- 49.नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का निर्माण: 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु एक जीवंत परितंत्र के सृजन के लिए देश भर से लिए गए 49 सदस्यों और हितधारकों को शामिल करके नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के निर्माण के लिए एक राष्ट्र-स्तरीय सिमिति का गठन किया गया है।
- **50. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023:** 97वां संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करने और बहुराज्य सहकारी सिमितियों में शासन सशक्त करने, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है।
- 51.GeM पोर्टल पर सहकारी सिमितियों को 'क्रेता' के रूप में शामिल करना: सरकार ने सहकारी सिमितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमित प्रदान कर दी है जिससे वे किफायती खरीद एवं अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 67 लाख वेंडरों से माल और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। GeM पोर्टल पर 'क्रेता' के रूप में अब तक 559 सहकारी सिमितियां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं।

- 52.राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की व्यापकता और पहुंच का विस्तारण: NCDC ने विभिन्न क्षेत्रकों में नई योजनाएं शुरू की है जैसे स्वयं सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार', दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घाविध कृषक सहकार' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' । वित्तीय वर्ष 2023-24 में NCDC द्वारा 60,618.47 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया गया है । वित्तीय वर्ष 2024-25 में NCDC ने 19,287.17 करोड़ रुपए का संवितरण किया है । भारत सरकार ने NCDC को विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर, सरकारी गारंटी के साथ 2000 करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड जारी करने की अनुमित प्रदान की है । इसके अलावा, NCDC द्वारा पूर्वोत्तर के 6 राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में उप-कार्यालय स्थापित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं को उनकी सहकारी सिमितियों के डोरस्टेप पर ले जाना है ।
- 53.गहरे समुद्री ट्रॉलरों के लिए एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता: मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के समन्वय से NCDC द्वारा गहरे समुद्री ट्रॉलरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। NCDC द्वारा विभिन्न वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई हैं, जैसे महाराष्ट्र में 20.30 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत पर 14 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए 11.55 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, 46.74 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत पर समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए राजमाता विकास मच्छीमार सहकारी संस्था लिमिटेड, मुंबई को 37.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, केरल सरकार की इंटिग्रेटेड फिशरीज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (IFDP) के लिए 32.69 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और 36.00 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत से 30 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए श्री महावीर मच्छीमार सहकारी मंडली लिमिटेड, गुजरात के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।
- **54.सहारा समूह की सिमितियों के निवेशकों को रिफंड:** सहारा समूह की सहकारी सिमितियों के वैध जमाकर्ताओं को पारदर्शी रीति से भुगतान करने हेतु एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उनकी जमाराशि और दावों के साक्ष्य की प्रस्तुति एवं उचित पहचान के पश्चात् संवितरण का कार्य आरंभ हो चुका है।

डा. सिकंदर कुमार: माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सहकारी संस्थाओं और समितियों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? दूसरा, हिमाचल प्रदेश की और देश की सहकारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (पीएसीएस) के उत्थान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं, धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी।

श्री मुरलीधर मोहोल: माननीय सभापित महोदय, सहकारिता मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के सहकारी संस्थाओं और समितियों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकार विकास निगम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सहकारी समितियों के विकास के लिए मार्केटिंग और इनपुट्स के लिए 218 करोड़ 46 लाख रुपये, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस को-ऑपरेटिव को 300 करोड़ 38 लाख रुपये, आईसीडीपी के तहत 308 करोड़, 32 लाख रुपए सहित आज तक कुल लगभग 973 करोड़, 50 लाख रुपए से भी अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सहकारिता मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना, पैक्स के तहत कंप्यूटराइजेशन के लिए हिमाचल प्रदेश से 870 पैक्स के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। हार्डवेयर की खरीद और डेटा के डिजिटाइजेशन और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए भारत सरकार के हिस्से के 16 करोड़, 88 लाख रुपये भी अभी तक हिमाचल प्रदेश को जारी किए गए हैं। सहकारिता मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के ऑपरेशंस में सुधार लाने हेतु एआरडीबी के कंप्यूटराइजेशन की परियोजना के लिए भी अभी आर्थिक मदद की है।

माननीय सदस्य का दूसरा सवाल यह था कि पैक्स के लिए सहकारिता मंत्रालय ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि सहकारिता मंत्रालय ने देश में "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के लिए 54 नए इनीशिएटिव्स लिए हैं। इनमें पैक्स को सशक्त करने के लिए जो काम करना चाहिए, उस पर जोर दिया गया है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन, जिससे सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी आधारित सीएनएस पर लाकर राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी बैंक के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शुरू किया गया है। पैक्स के लिए मॉडल बाई लॉज़ तैयार किए गए हैं, जिससे वे अभी 25 से भी अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और अपने व्यवसाय में विविधता लाकर आर्थिक प्रगति कर पाएँगे।

पैक्स को सीएससी के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम किया गया है, जिससे ग्रामीण जनता बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य आदि 300 से भी अधिक कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। पैक्स अब प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र के द्वारा फर्टिलाई जर्स और कीटनाशक वितरित कर संकेंगे और प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में जेनेरिक औषधि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। पैक्स ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजना के तहत पानी समिति के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे अनेक कार्य सहकारिता मंत्रालय के द्वारा देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु किए जा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Second Supplementary; Dr. Sikander Kumar.

डा. सिकंदर कुमारः सर, मेरा प्रश्न हो गया है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Third Supplementary; Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः सर, हिमाचल में सबसे ज्यादा सेब की मार्केट है। मंत्री जी हमारे महाराष्ट्र स्टेट से आते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि यह सेब की मार्केट एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है - अडाणी। क्या मंत्री जी उस मार्केट को सहकारिता के क्षेत्र में लाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे?

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी। यह एक रोचक प्रश्न है।

श्री मुरलीधर मोहोलः में रजनी ताई से ...(व्यवधान)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः सर, ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः नहीं, आगे नहीं।। am on the murmur. ...(Interruptions)... माननीय मंत्री जी।

श्री मुरलीधर मोहोलः माननीया रजनी ताई हमारे महाराष्ट्र से आती हैं। मैं उनसे बाद में बात करके सभी डिटेल्स उनको दे दूँगा।

MR. CHAIRMAN: Fourth Supplementary; Dr. V. Sivadasan.

DR. V. SIVADASAN: Respected Mr. Chairman, Sir, in our nation, co-operative sector has given great contribution to the development of rural and urban areas. In the Yuva Sahakar Scheme, NCDC has sanctioned only Rs. 45 crores across the country. They told us about the scheme that there are 14,000 beneficiary members and released only Rs.2 crore 48 lakhs. This is a very pathetic situation. So my question is: Do you have any plan to give financial assistance to the State Government for supporting the cooperative sector in our nation?

श्री मुरलीधर मोहोलः महोदय, सहकारिता मंत्रालय द्वारा 54 नई पहलें, जिन पर हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सहकारिता के माध्यम से हर एक क्षेत्र में अलग-अलग 54 पहलें जो हैं, उनमें बैंक, PACS, डेयरी, फिशियरीज़ आदि सभी क्षेत्रों को सक्षम करने के लिए एक योजना बनाई गई है। यहां मेरे पास डिटेल है, मुझे लगता है कि इस पर विस्तृत बात करनी पड़ेगी। मैं इसे पटल पर रखता हूं और आपको भी ...(व्यवधान)...

DR. V. SIVADASAN: Sir, ...(Interruptions)...

SHRI MURLIDHAR MOHOL: Okay. One minute. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, the hon. Minister is responding.

श्री मुरलीधर मोहोल: आपने यहां युवा सहकार योजना के बारे में जानकारी मांगी है, इस योजना के अंतर्गत कोई भी सहकारी समिति, जो innovative और मूल्य श्रंखला बढ़ाने वाली परियोजना में कार्यरत है, वित्तीय सहातया प्राप्त कर सकती है। युवा सहकार योजना के तहत शहरी आवास को छोड़ कर NCDC को दी गई किसी भी व्यवसाय योजना आधारित गतिविधि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उदाहरण स्वरूप कृषि प्रसंस्करण आपूर्ति श्रंखला, मूल्यवर्धन, logistic, कृषि यांत्रिकीकरण, खुदरा खाद्यान्न के विपणन, निवेश, आपूर्ति, वृक्षारोपण, बागवानी, ग्रामीण आवासीकरण, कमज़ोर वर्ग के लिए कार्यक्रम, आदिवासी सहकारी समितियां, डेयरी, कीटपालन, पशुधन, मत्स्य, हथकरघा, क्वायर, जूट, कोष, कीट पालन, कम्प्यूटरीकरण, वस्त्र, पैक्स के बुनियादी ढांचे, विपणन सहकारिता की अवसंरचना, कृषि बीमा, जल संरक्षण कार्य सेवाएं, पर्यटन, अतिथि, परिवहन, अस्पताल, योग वैलनेस सुविधा, शिक्षा, बिजली उत्पादन तथा वितरण, ऊर्जा के गैर-पारम्परिक और नवीकरणीय स्त्रोत का उत्पादन तथा वितरण आदि के लिए सहायता प्रदान करता है।

MR. CHAIRMAN: Ms. Dola Sen; fifth supplementary.

MS. DOLA SEN: Sir, I want to know from the hon. Minister as to whether there is any statistics or data of the Union Government that through the Cooperative Ministry and NCDC how many have become independent to run the show in the last five years.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, the question is on Yuva Sahakar Scheme in Himachal Pradesh. So you have to confine to that.

सुश्री दोला सेनः ठीक है, कोई बात नहीं, आप हिमाचल प्रदेश का डेटा ही दे दीजिएगा।

MR. CHAIRMAN: Quick response! Hon. Minister.

श्री मुरलीधर मोहोलः महोदय, मैं आपके सामने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की व्यापकता और पहुंच का बड़ा ही विस्तारपूर्वक जवाब रखूंगा। NCDC ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजना शुरू की है, जिससे स्वयं सहायता समूह के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार', दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार'। वित्तीय वर्ष 2023-

2024 में NCDC द्वारा 60 हज़ार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का संवितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में NCDC ने 19,287.17 करोड़ रुपये का संवितरण किया है। भारत सरकार ने NCDC को विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर, सरकारी गारंटी के साथ 2 हज़ार करोड़ रुपये मूल्य के बॉन्ड जारी करने की अनुमित प्रदान की है। इसके अलावा, NCDC द्वारा पूर्वोत्तर के 6 राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, में उप-कार्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। जिनका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं को, उनकी सहकारी समितियों को, door step पर ले जाना है।

MR. CHAIRMAN: Please. ... (Interruptions)... Question No. 19. Shrimati Mahua Maji.